—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 85/2024

उनवान

1. रामकरण पुत्र पांचू जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :—जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. पानी पुत्री गजा उर्फ गज्जा,
2. सूरा पुत्र दौला,
3. सायर पुत्र दौला,
4. प्रधान सिंह पुत्र बोदू,
5. प्रेम उर्फ पांची पुत्री बोदू,
6. बीरी,
7. भंवरी पि. बोदू,
8. मीरा पत्नी बोदू,
9. रामदेव सिंह पुत्र बोदू,
10. सीमा पुत्री बोदू जति रावत नि. हाथीपटा, नसीराबाद,
11. राज सरकर जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :— 2, 4, 9 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत,
11 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

12. कानी पत्नी अमरचन्द,
13. गणेश पुत्र अमरचन्द,
14. नानू पुत्र पांचू,
15. फूली पत्नी अमरचन्द,
16. बीरम सिंह पुत्र पांचू,
17. मिठु,
18. मोहनी पि. अमरचन्द,
19. सुवा पुत्री पांचू,
20. सोहनी पुत्री अमरचन्द,
21. गौरी पुत्री पांचू,
22. ज्ञाना पुत्री अमरचन्द,
23. बरजी पुत्री नाथा,
24. मीरा पुत्री अमरचन्द जाति रावत [illegible]
25. लक्ष्मण पुत्र नंगा जाति रावत नि. नेडलिया, पुष्कर, [illegible]

—— प्रफोर्मा अप्रार्थी[illegible] 16 जरियें [illegible] श्री सीताराम रावत
शेष अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 12.11.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हाथीपट्टा में प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी/काश्तकारी भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

हाल खसरा नम्बर	रकबा	पुराना खसरा नम्बर	रकबा
782	0.17	788	0.17
782/1840	0.06	787	0.06
782/1937	0.03	787	0.03

उपरोक्त आराजी ग्राम हाथीपट्टा के पुराने खसरा नम्बर 788 व 787 के पूर्व नक्शा ट्रेस में एक दूसरे के पास स्थित थे। दोनो खसरा नम्बर के उतर दिशा में मोरी स्थित थी। जिसके पुराने खसरा नम्बर 795 मिन है। हाल राजस्व मानचित्र बनाते समय बंदोबस्त विभाग ने उक्त पुराने खसरा नम्बर 788 के हाल खसरा नम्बर 782 व पुराने खसरा नम्बर 787 के हाल खसरा नम्बर 782/1840 व 782/1937 को राजस्व मानचित्र में अंकित करते समय 782 की उतरी भुजा जो कि मोरी के लगती हुयी सीमा थी के बीच में खसरा नम्बर 782/1840 व 782/1937 दर्शित कर दिया। उक्त खसरा नम्बर 782/1840 व 782/1937 अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2, 4, 9 व 16 ने जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र पूर्व की भाति सही तैयार किया गया है। मोरी को किसी प्रकार से हटाया नही जा सकता है। भूमि की किस्म मोरी होने के कारण न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। प्रफोर्मा अप्रार्थी बीरम सिंह व प्रार्थी रामकरण के मध्य विभाजन का वाद विचाराधीन है। प्रार्थी बंटवारा नही कराना चाहता है, जिस कारण उक्त निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम हाथीपटटा के हाल खसरा नम्बर 782 प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी का है। हाल खसरा नम्बर 782/1840 व 782/1937 अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी के वंर्किग खसरा नम्बर 788 व अप्रार्थीगण की खातेदारी के वंर्किग खसरा नम्बर 787 है। वंर्किग राजस्व मानचित्र में वंर्किग खसरा नम्बर 788 के उतरी दिशा में मोरी लगती हुयी हैं। जबकि हाल राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 782 व मोरी के खसरा नम्बर 789 के बीच में अप्रार्थी[illegible] नम्बर 782/1840 व 782/1937 दर्शित कर दिये है। बंदोबस्त विभाग को [illegible] राज[illegible] मानचित्र में बिना किसी आदेश के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी[illegible] कथन है कि आराजी मुतनाजा की किस्म मोरी होने के कारण न्यायालय को [illegible] का क्षेत्राधिकार नही है किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्वयं व अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है। प्रकरण में मोरी की कि[illegible] परिवर्तित नही की जा रही है। प्रार्थी व बीरम सिंह के मध्य विचाराधीन विभाजन के वाद का विवरण अप्रार्थीगण द्वारा

––3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रस्तुत नही किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का कोई ठोस खण्डन नही किया है। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से भूमि के रकबे में कोई प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थीगण के हित प्रभावित नही होते है। प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद हाल व साबिक राजस्व मानचित्र से होती है। प्रार्थी राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम हाथीपटटा के हाल खसरा नम्बर 782, 782/1840 व 782/1937 के हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested